



UPSI180024642018

न्यायलय Civil Judge Junior Division Mahmoodabad, Sitapur
पैरसीन अधिकारी - (Amit Singh), (उम्मीद न्यायिक सेवा) - UP02519

मूलवाद सं० Civil Suit/391/2018

ram asare and others Vs. ram kumar

11.11.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय-पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु सं० 2, 3 नियत है।

अतः वाद बिन्दु सं० 2 पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

निस्तारण वाद बिन्दु सं० 2-

वाद बिन्दु सं० 2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद अल्पमूल्यांकित है? यह वाद बिन्दु प्रतिवादी के अभिकथनों के आधार पर विरचित किया गया है। प्रतिवाद-पत्र 15क की धारा 10 में प्रतिवादी ने कथन किया है कि वादग्रस्त मकान में स्थित पक्का कमरा, बाउन्ड्री वाल, लैट्रिन, टीनशेड, पेड़ व भूमि की कीमत तीन लाख रुपये से कम नहीं है। वादीगण ने वाद का मूल्यांकन कम करके न्यायशुल्क कम अदा किया गया है।

जबकि वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सही न्यायशुल्क अदा किये जाने के सम्बन्ध में तर्क प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण ने नक्शा वाद-पत्र में अक्षर अ,ब,स,द से प्रदर्शित वादग्रस्त अहाता के सम्बन्ध में यह वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। स्वयं वाद-पत्र की धारा 2 के अभिकथन से यह विदित होता है कि वादग्रस्त अहाते में एक पक्का कमरा, टीनशेड, एक नीम का पेड़, दो शहतूत एवं एक जैती का पेड़ मौजूद हैं। वादीगण ने विवादित सम्पत्ति भूमि व उस पर स्थित सम्पत्ति की बाजारी कीमत मु०-22,000 रु० अभिकथित करते हुए उसके आधार पर वाद का मूल्यांकन किया है। जबकि स्वयं वाद-पत्र के अभिकथनों के अवलोकन से विवादित भूमि व उस पर स्थित सम्पत्ति की बाजारी कीमत कम से कम **50,000 रु०** अवश्य प्रतीत होती है। इस प्रकार वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है। तदनुसार वाद बिन्दु सं० 2 वादीगण के विरुद्ध निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद बिन्दु सं० 2 वादीगण के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है। वादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह वाद का मूल्यांकन **50,000/-** रुपये किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करें। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दि० 06.12.2021 को पेश हो।

सिविल जज जू० डि०

महमूदाबाद, सीतापुर।

J.O. Code- UP02519

अजय/स्टेनो